न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–147/2014
GCMS CASE NO- 2014/00157

दायर दिनांक 29.12.2014

1. कश्मीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर (मृतक)
   1/1 जसवीर कौर पत्नी कशमीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   1/2 बलजीत कौर पुत्री कशमीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   1/3 अमित सिंह पुत्र कशमीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   1/4 गुरविन्द्र सिंह कशमीर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीविजयनगर
2. अर्जन सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   2/1 कलवन्त सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   2/2 जसवन्द सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   2/3 बिलूसिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
   2/4 पप्पू सिंह उर्फ जसविन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13 (क) राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री भागीरथ बिश्नोई
2. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री 2/1 ता 2/3 श्री विनोद बिश्नोई
3. पैरोकार राज, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

– :: निर्णय :: –

दिनांकः– 12.04.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/3 तथा पैरोकार राज हाजिर। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 (क) राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत पेश कर अपनी खरीदशुदा भूमि तहसील श्रीविजयनगर के चक 23 जीबी के पत्थर न. 160/411 के मुरब्बा न. 39/40 के किला न. 3/1 में 0.2280 है0, किला न. 4/1 में 0.2280 है0 कुल 0.4560 है0 बारानी रकबा के हस्तांतरण को विधिमान्य करवाने हेतु प्रार्थना की है। प्रकरण में जैर प्रार्थना पत्र रकबा के संबंध में तहसीलदार श्रीविजयनगर से रिपोर्ट मंगवाई गई जो उनके पत्रांक 175 दिनांक 17.03.2015 द्वारा प्राप्त हुई।प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसल की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थी दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 23 जीबी के पत्थर न. 160/411 के मुरब्बा न. 39/40 के किला न. 3/1 में 0.2280 है0, किला न. 4/1 में 0.2280 है0 कुल 0.4560 है0 बारानी रकबा अप्रार्थी संख्या 2 स्व. अर्जन सिंह पुत्र बग्गा सिंह को दिनांक 24.11.1972 को पुख्ता आवंटन हुई थी। उक्त रकबा अप्रार्थी 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदारी दर्ज होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था। दिनांक 20.04.1999 को अप्रार्थी संख्या 01 अर्जनराम ने अपनी उक्त भूमि का सौदा प्रार्थी कशमीर के साथ 80,000 रूपये में करके उसी दिन 70,000 रूपये नगद प्राप्त [illegible] दिया। रकबा समान जाति में बेचान हुआ है। रकबा आज भी गैरखातेदारी है तथा [illegible] 01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रकबा किश्तों के अभाव में खारिज [illegible] नहीं है। रकबा पर किसी अन्य अदालत का स्थगन नहीं है व ना ही किसी [illegible] का विवाद चल रहा है। प्रार्थीगण अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

792

Scanned with OKEN Scanner

खरीदशुदा भूमि के उक्त हस्तांतरण को विधिमान्य घोषित करवाने हेतु चाहते है। इस हेतु प्रार्थी कश्मीर द्वारा शमनफीस राशि 2700 व ब्याज राशि 12880 रूपये जमा करवा दी गई थी। शमन फीस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। रकबा पर हमारा कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खरीदशुदा भूमि तहसील श्रीविजयनगर के चक 23 जीबी के पत्थर न. 160/411 के मुरब्बा न. 39/40 के किला न. 3/1 में 0.2280 है0, किला न. 4/1 में 0.2280 है0 कुल 0.4560 है0 बारानी रकबा का हस्तांतरण विधिमान्य घोषित किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 2/1 ता 2/3 ने दौराने बहस कथन किया कि जैर प्रार्थना पत्र रकबा हमारे पिता को दिनांक दर्ज होकर कब्जा काश्त में चलो आ रहा था। दिनांक 20.04.1999 को हमारे पिता अप्रार्थी संख्या 01 अर्जनराम ने अपनी उक्त भूमि का सौदा प्रार्थी कशमीर के साथ 80,000 रूपये में करके उसी दिन 70,000 रूपये नगद प्राप्त करके कब्जा मौके पर प्रार्थी को सौंप दिया। यदि उक्त हस्तांतरण को विधिमान्य घोषित किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है।

पैरोकार राज ने दौराने बहस रिपोर्ट दिनांक 17.03.2015 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 23 जीबी के पत्थर न. 160/411 के मुरब्बा न. 39/40 के किला न. 3/1 में 0.2280 है0, किला न. 4/1 में 0.2280 है0 कुल 0.4560 है0 बारानी रकबा अप्रार्थी संख्या 2 स्व. अर्जन सिंह पुत्र बग्गा सिंह को दिनांक 24.11.1972 को पुख्ता आवंटन हुई थी। मौके पर भूमि की किस्म नहरी है। आवंटी के नाम से सनद जारी नहीं हुई है। उक्त रकबा कशमीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह द्वारा दिनांक 10.04.1999 को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दिया है। मौके पर क्रेता कश्मीर सिंह का कब्जा काश्त है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

हमने उभय पक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में कशमीर सिंह द्वारा जैर प्रकरण भूमि की शमन फीस 2700 व ब्याज राशि 12880 रूपये जमा करवा दी गई थी, जिसकी रसीद संलग्न पत्रावली है। रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर दिनांक 17.03.2015 अनुसार मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। प्रार्थी संख्या 1/4 ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता कश्मीर सिंह राजस्थान का मूल निवासी था। प्रार्थी के पिता के पास स्वयं का पहले रकबा नहीं था व प्रार्थी के पिता राज्य सरकार से भूमि आवंटन करवाने की पात्रता रखते थे।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी कश्मीर सिंह पुत्र हरनामसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर द्वारा खरीदशुदा भूमि यथा तहसील श्रीविजयनगर के चक 23 जीबी के पत्थर न. 160/411 के मुरब्बा न. 39/40 के किला न. 3/1 में 0.2280 है0, किला न. 4/1 में 0.2280 है0 कुल 0.4560 है0 बारानी रकबा धारा 13 ए राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के अन्तर्गत नियमितीकरण किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि मूल आवंटी अर्जन सिंह पुत्र बग्गा सिंह जाति कम्बोसिख निवासी 23 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के वारिसान की जांच कर अर्जन सिंह के विधिक वारिसान के नाम से नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे तथा सनद व रजिस्टर्ड बैयनामा पेश करने पर खरीददार कश्मीर सिंह के वारिसान की जांच कर उसके विधिक वारिसान के नाम से नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं नियमानुसार प्रार्थी कश्मीर सिंह के विधिक वारिसान को कब्जा संभलवाये। यदि नियमितीकरण राशि जमा के पश्चात कोई राशि बकाया है तो प्रार्थी से राशि जमा करावें। नियमितीकरण आदेश अलग से जारी किया जाकर तहसीलदार श्रीविजयनगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.06.13 11:14:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner